

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous III Bail Application No. 4033/2025

Jagdish @ Sethi S/o Kalla, Aged About 62 Years, R/o Harijan Basti, Bada Mohalla, Police Thana Kotwali, Gangapur City, District Gangapur City (Presently Confined In Judicial Custody At Central Jail Jaipur, Raj.)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Rajendra Singh
For Respondent(s) : Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

07/04/2025

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना गंगापुर सिटी, जिला-गंगापुर सिटी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 149/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह तृतीय प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.11.2024 को तथा द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र दिनांक 16.12.2024 को निरस्त किया गया था। उनका तर्क है कि उन्होंने अब यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी-अभियुक्त के अस्वस्थता के आधार पर भी प्रस्तुत किया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त 62 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है तथा टी.बी. रोग से ग्रसित है। प्रार्थी-अभियुक्त को निरंतर उपचार और देखभाल की आवश्यकता है। प्रकरण में उसके आधिपत्य से 01 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद होना बताया गया है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त की मेडिकल रिपोर्ट, जो

जेल अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसमें भी अभियुक्त के अस्वस्थ होने की तथा उसे बार-बार अस्पताल में भर्ती कराने का अंकन है। प्रार्थी-अभियुक्त लगभग एक वर्ष दिनांक 16.05.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा पूर्ण होने में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण में अभियुक्त से 01 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी-अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2024 को निरस्त किया गया था। जेल अधीक्षक की रिपोर्ट में प्रार्थी-अभियुक्त का COPD with Multiple Bulla In Left Lung with Cor Pulmonle, Choronic Alcoholic, Known Smoker Ganja Abuser And Hepatitis C Positive तथा टी.बी. रोग से ग्रसित होना तथा उसे बार-बार उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करना अंकित है। प्रार्थी-अभियुक्त अब तक लगभग एक वर्ष की अवधि अभिरक्षा में पूर्ण कर चुका है प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी-अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र एवं पचास-पचास हजार रुपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी-अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह विचारण

न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /04